पत्र सं0-सी0/ए0मिस-103-22/2011............/जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

विश्वेश्वर राम,
विशेष लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
व्यवहार न्यायालय, नवादा।

पटना, दिनांक...............

विषय:- **विशेष लोक अभियोजक के दैनिक शुल्क की राशि के संबंध में**

....

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र के प्रसंग में विधि विभागीय पत्रांक-484, दिनांक-01.10.2012 तथा विधि विभागीय पत्रांक-7616, दिनांक-12.10.2012 की छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि संलग्न पत्रानुसार विशेष लोक अभियोजक को अनुमान्य दैनिक शुल्क देय होगा।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-मनोज कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:-...932.../जे0, पटना, दिनांक:-......27/02/15....

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/15
(मनोज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।
26/2/15

E:\PUSHPA K\Manoj Kumar\C.A.mis.doc

पत्र सं0-सी0/ए0एल0-50-17/2012.....7616...../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 18/10/12

विषय:- विभिन्न अधिनियमों से सम्बन्धित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को देय दैनिक शुल्क के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधि विभागीय पत्रांक-5321 दिनांक-22.12.2009 एवं पत्रांक-484 दिनांक-01.10.2012 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि विभिन्न अधिनियमों से सम्बन्धित वादों यथा :- अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण, एन0डी0पी0एस0, उत्पाद, आवश्यक वस्तु अधिनियम (अपराध अधिनियम नियंत्रित सहित), खाद्य, समिश्रण, माप तौल, श्रम अधिनियम, पर्यावरण एवं वन, खान एवं भू-तत्व इत्यादि में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को लोक अभियोजक का अनुमान्य दैनिक शुल्क देय होगा।

अनुरोध है कि तद्नुसार विषय को पारित करते हुए भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे।

विश्वासभाजन

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप सं0 संख्या-सी0/ई0एच0-79/2011-........../जे0 पटना, दिनांक ....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः- *वित्त विभाग ।

ौपचारिक रूप
से परामर्शित

विषयः- राजस्व पैनल/जिला के लोक अभियोजक/सरकारी वकील एवं अपर लोक अभियोजक/सहायक सरकारी वकील/उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त विशेष लोक अभियोजक(खनन)/विशेष लोक अभियोजक(खनन) के कनीय अधिवक्ता/व्यवहार न्यायालय के निगरानी पैनल के विशेष अधिवक्ता/व्यवहार न्यायालय के निगरानी पैनल के कनीय अधिवक्ता/उच्च न्यायालय, पटना के सहायक अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक तथा महाधिवक्ता एवं उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों/राजस्व पर्षद के विशेष अधिवक्ता/जिला के लोक अभियोजक/सरकारी वकील/विशेष लोक अभियोजक(खनन) के अंशकालीन लिपिकों के शुल्क निर्धारण/मानदेय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः- स्वीकृत ।

2. विषयांकित शुल्क निर्धारण के मामलें पर सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की आहूत बैठक दिनांक 12.07.2012 में विधि विभागीय ज्ञाप सं0-918जे0 दिनांक 02.03.2010 द्वारा निर्धारित शुल्क पर सम्यक् विचारोपरांत समिति द्वारा महसूस किया गया कि संबंधित विधि पदाधिकारियों के पूर्व में निर्धारित प्रतिधारण शुल्क एवं दैनिक शुल्क में वृद्धि वांछनीय है।

3. विधि विभागीय ज्ञाप सं0-179जे0 दिनांक 26.03.2012 द्वारा उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों के सहायतार्थ नियुक्त सहायक अधिवक्ताओं का दैनिक शुल्क 800/-रु0+200/-रु0 (ड्राफ्टिंग)=1000/-रु0 तथा अपर लोक अभियोजकों का 1000/-(एक हजार) रूपये निर्धारित हुआ था, इसके संदर्भ में शुल्क वृद्धि से संबंधित उनसे प्राप्त अभ्यावेदन पर उक्त बैठक में सम्यक् रूप से पुनर्विचार किया गया और पाया गया कि इनके निर्धारित शुल्क में वृद्धि वांछनीय है।

4. साथ ही उक्त बैठक में समिति द्वारा महाधिवक्ता एवं विधि पदाधिकारियों के अंशकालीन लिपिकों को प्रतिमाह निर्धारित मानदेय में वृद्धि किए जाने संबंधी उनके अभ्यावेदन पर सम्यक् रूप से विचार किया गया और महसूस किया गया कि विधि विभागीय ज्ञाप सं0-918जे0 दिनांक 02.03.2010 द्वारा इनके संदर्भ में निर्धारित मानदेय की राशि में वृद्धि वांछनीय है। साथ ही विधि विभागीय ज्ञाप सं0-918जे0 दिनांक 02.03.2010 द्वारा निर्धारित अन्य सभी विधि पदाधिकारियों के निर्धारित शुल्क में वृद्धि वांछनीय पायी गई है।

5. उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा विषयांकित सभी कोटि के अधिवक्ताओं के शुल्क तथा विधि पदाधिकारियों के अंशकालीन लिपिक के मानदेय निर्धारण के संदर्भ में की गई अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निम्नरूपेण शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(क) अधिवक्ताओं को निर्धारित शुल्क :- (रूपये में)

क्र0	अधिवक्ता का पदनाम	प्रतिधारण शुल्क (प्रतिमाह)	दैनिक शुल्क
1	2	3	4
1.	राजस्व पर्षद के विशेष सरकारी वकील	7,000/-	1,500/-
2.	राजस्व पर्षद के सहायक सरकारी वकील	---	1,000/-
3.	विशेष लोक अभियोजक (खनन) (उच्च न्यायालय)	---	1,500/-

(क्र0पृ0उ0)

CEH-(Sec)

4.	विशेष लोक अभियोजक (खनन) के कनीय अधिवक्ता (उच्च न्यायालय)	---	1,000/-
5.	जिला के लोक अभियोजक	5,000/-	1,500/-
6.	जिला के सरकारी वकील	5,000/-	1,500/-
7.	जिला के अपर लोक अभियोजक एवं सहायक सरकारी वकील	---	600/-
8.	निगरानी पैनल के विशेष अधिवक्ता (व्यवहार न्यायालय)	---	1,200/-
9.	निगरानी पैनल के विशेष अधिवक्ता के कनीय अधिवक्ता (व्यवहार न्यायालय)	---	1,000/-
10.	उच्च न्यायालय, पटना के अपर लोक अभियोजक	---	1,200/-
11.	उच्च न्यायालय, पटना के सहायक अधिवक्ता	---	1,000+200/- (ड्राफ्टिंग)

(ख) अंशकालीन लिपिक का मानदेय :-

(रूपये में)

क्र0	अंशकालीन लिपिक	मानदेय (प्रतिमाह)
1.	महाधिवक्ता, बिहार के अंशकालीन लिपिक	7,500/-
2.	उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारियों के अंशकालीन लिपिक	4,500/-
3.	राजस्व पर्षद के विशेष अधिवक्ताओं का अंशकालीन लिपिक	3,000/-
4.	जिला के लोक अभियोजक/सरकारी वकील के अंशकालीन लिपिक	3,000/-
5.	विशेष लोक (खनन) उच्च न्यायालय के अंशकालीन लिपिक	3,000/-

6. यह आदेश दिनांक 01.10.2012 से प्रभावी होगा। इस आदेश में उल्लिखित अधिवक्ताओं तथा अंशकालीन लिपिकों के संदर्भ में पूर्व में निर्गत आदेश से निर्धारित प्रतिधारण शुल्क/दैनिक शुल्क एवं मानदेय प्रभावी तिथि दिनांक 01.10.2012 से अवक्रमित समझा जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-..........484.../जे0, **पटना, दिनांक** ....01.10.12.......

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव, बिहार।

CEH-(Sec)